

अनुबंध I
(पैरा 3)

मार्च / सितंबर के सूचना देने के अन्तिम शुक्रवार तक अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रदान किए गए अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि हजार रुपयों में)
(संख्या वास्तविक)

		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		कुल	
		खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष
		1	2	3	4	5	6
	प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम						
1.	कृषि क. प्रत्यक्ष ख. अप्रत्यक्ष						
	इनमें से 5 एकड़ अथवा कम जोत वाले छोटे/ सीमान्त किसानों अथवा भूमिहीन मजदूरों को अग्रिम						
2.	लघु उद्यम (उत्पादक और सेवा उद्यम सहित) क. प्रत्यक्ष ख. अप्रत्यक्ष						
	इनमें से (i) उत्पादक (ii) सेवा उद्यम को अग्रिम (iii) खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को अग्रिम						
3.	खुदरा व्यापार						
4.	शिक्षा						
5.	आवास ऋण						
6.	माइक्रो ऋण (कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए						

	एसएचजी/जेएलजी को प्रदान किए गए ऋण से इतर)						
7.	राज्य द्वारा प्रायोजित अजा/अजजा संगठनों को सामग्री की खरीद और आपूर्ति के संबंध में तथा/ अथवा हिताधिकारियों के उत्पाद के विपणन हेतु (कॉलम 5 और 6 में दर्शाया जाए)						
8.	केवल अजा/अजजा सदस्यों वाली भागीदारी फर्मों, एसएचजी/जेएलजी आदि के रूप में गठित अजा/अजजा के सदस्यों को उपर्युक्त प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करना						
	कुल						

अनुबंध I (क)

मार्च/सितंबर के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला
विवरण

(राशि हजार रूपयों में)

	अनुसूचित जनजाति	
केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू	खातों की सं.	बकाया शेष
अजजा सदस्यों वाले एसएचजी को एनएसटीएफडीसी* माइक्रो-ऋण योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण		

*एनएसटीएफडीसी - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम